

# Order Sheet [Contd]

Case No ...../2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>20.07.2017</p> <p>आवेदक/अभियुक्त सूरज की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र प्रकरण आज शीघ्र सुनवाई में लिए जाने बावत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में आवेदक/आरोपी सूरज का नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत करने एवं निराकरण होना है। अतः प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया।</p> <p>विचारोपरांत प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया गया।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त सूरज की ओर से यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा एवं आवेदक/अभियुक्त अरुण की ओर से श्री एम.एल. मुदगल अधिवक्ता द्वारा प्रथक प्रथक जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 प्रस्तुत किये गए हैं। उक्त आवेदनपत्र एक ही अपराध से संबंधित होने से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त सूरज की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र इस प्रकार का किसी भी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत किया गया है, इसी प्रकार आरोपी अरुण की ओर से श्री एम.एल. मुदगल अधिवक्ता द्वारा द्वितीय जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पेश कर निवेदन किया कि प्रथम जमानत आवेदनपत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।</p> <p>आवेदकगण/अभियुक्तगण अरुण व सूरज की ओर से प्रस्तुत प्रथक प्रथक आवेदनपत्रों में निवेदन किया है कि आवेदकगण के विरुद्ध पुलिस थाना मौ से मिलकर झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया जिससे आवेदकगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रकरण में सहआरोपी विजयराम की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एवं आवेदक/अभियुक्त सतीश को जमानत पर समानता के आधार पर इसी न्यायालय द्वारा मुक्त किया गया है। वर्तमान आवेदकगण का कृत्य जमानत पाए सहआरोपीगण से भिन्न नहीं है। आवेदकगण जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगे। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त अरुण की ओर से यह आधार लिया गया है कि प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और सहआरोपी विजयराम एवं सतीश की जमानत हो चुकी है और समानता के आधार पर आवेदक/अभियुक्त भी जमानत पर मुक्त होने का पात्र है, जबकि आरोपी सूरज की ओर से यह आधार लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 161 जा0फौ0 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में फरियादिया ने आरोपी सूरज पर बलात्संग के आरोप नहीं लगाए हैं और सहआरोपी विजयराम एवं सतीश के समानता के आधार पर जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अतः अभियुक्त को समानता के आधार पर जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>जहाँ तक आवेदक/अभियुक्त अरुण का प्रश्न है, फरियादिया ने आरोपी अरुण पर</p>	

मोटरसाइकिल में ले जाने और उसके साथ पहाडिया पर बल पूर्वक संभोग करने के आरोप लगाए है। आवेदक/अभियुक्त अरुण की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदनपत्र दिनांक 04.07.17 को गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जाना प्रकरण की परिस्थितियों में परिवर्तन होना नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक जमानत पाए सहआरोपीगण को जमानत पर छोड़े जाने का प्रश्न है उन पर केवल पहाडिया पर चौकीदारी करने का आरोप है। अतः आवेदक/अभियुक्त अरुण समानता के आधार पर जमानत पर मुक्त होने का पात्र नहीं है।

जहाँ तक आवेदक/अभियुक्त सूरज का प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 161 जा.फौ. के कथनों में अभियोगत्री ने आरोपी सूरज द्वारा बलात्संग किये जाने के कथन नहीं किए है, किन्तु यदि दिनांक 17.04.2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष धारा 164 जा0फौ0 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों का अवलोकन किया जाए तो फरियादिया ने आरोपी अरुण एवं सूरज पर मोटरसाइकिल में बिठाकर ले जाने और चिल्लाने पर सूरज के द्वारा मुँह दवाने एवं पहाडिया पर ले जाकर अरुण एवं सूरज के द्वारा बलात्कार किये जाने संबंधी कथन किये है।

जहाँ तक आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ताओं के इन तर्कों का प्रश्न है। फरियादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 के कथनों में एवं धारा 164 जा0फौ0 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में प्रथक प्रथक बात बताई है, यह गुणदोष का विषय है, किन्तु प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त सूरज एवं अरुण पर फरियादिया द्वारा गंभीर आरोप लगाए है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का मामला जमानत पाए सहआरोपीगण विजयराम व सतीश के समान नहीं है।

परिणामतः आवेदकगण/अभियुक्तगण अरुण एवं सूरज की ओर से प्रस्तुत प्रथक प्रथक जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत आरोप तर्क हेतु दिनांक 04.08.2017 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद